मनरेगा के लिए सड़क पर उतरे कांग्रेसी, लाठीचार्ज

विधान भवन घेराव का था आह्वान, कई जिलों के नेता नजरबंद, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रात से ही डटे रहे अजय राय

विरोध

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मनरेगा बचाने को मंगलवार को कांग्रेसी सड़क पर उतरे। विधान भवन घेराव के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकले कांग्रेसजनों को पुलिस ने माल एवेन्यू में ही बैरीकेड लगाकर रोक लिया। बावजूद इसके कांग्रेसी रोके नहीं रुके और बैरीकेड पर चढ़ गए। पुलिस को आरएएफ के साथ मिलकर लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई चोटिल भी हो गए हैं। कांग्रेसजनों को हिरासत में लेकर इको गार्डन ले जाया गया, जहां से उन्हें छोड़ दिया गया।

इस महीने की 13 तारीख को कांग्रेस ने पूरे जिले में मनरेगा बचाओ पदयात्राएं की थीं। उसी रोज कांग्रेस ने मंगलवार (17 फरवरी) को विधान भवन घेरने का ऐलान कर दिया था। आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश भर के अलग-अलग जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लखनऊ पहुंचे। हालांकि, तमाम जिलों में नेताओं को पुलिस ने एहतियातन नजरबंद भी कर लिया था। मसलन, अयोध्या में पूर्व सांसद डॉ. निर्मल खत्री, वाराणसी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, अमेठी में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय पासी, आगरा से आए रामनाथ सिकरवार व मुकेश डागुर समेत अन्य को लखनऊ स्थित होटल से हिरासत में लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खुद ही रात में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए और रात भर वहीं डटे रहे। अमेठी से सांसद केएल शर्मा भी रात भी पीसीसी में ही रहे। मंगलवार सुबह यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, सांसद केएल शर्मा समेत अन्य की अगुआई में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। विधायक वीरेंद्र चौधरी व पूर्व एमएलसी दीपक सिंह भी उपस्थित थे। पुलिस ने रोका तो आंदोलनरत कांग्रेसजनों और पुलिस में नोकझोंक हो गई। नेता बैरीकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जबकि पुलिस और आरएएफ लाठियों से उन्हें धकेलती रही। लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें कई चोटिल हुए। हिरासत में लिए जाने से पहले अविनाश पांडे ने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मा है। अजय राय ने लाठीचार्ज की निंदा की।



विधान भवन का घेराव करने जाते समय माल एवेन्यू में बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करतीं कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा।



प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

विधानसभा में उठा लाठीचार्ज का मामला

लखनऊ। विधान सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का मामला उठा। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा कानून खत्म करना चाहती है। कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे। पहले तो उन्हें बलपूर्वक रोका गया और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस पर पहले तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि कुछ गलत किया होगा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि इस मसले पर अभी कोई जानकारी सदन में न तो मंत्री को है न मुझे। मामले की जानकारी के बाद ही बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री इसपर कोई जवाब दे सकेंगे।

टूटी बैरीकेडिंग, कई हुए चोटिल पर बड़ा हादसा टला

बैरीकेडिंग पर चढ़े कांग्रेसजनों को पुलिस व आरएएफ लगातार लाठियों से ठेलती रही। इस दरम्यान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरीकेडिंग पकड़कर लगातार उसपर चढ़ने की कोशिश करते रहे। इस बीच बैरीकेडिंग का ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इससे कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए।

कई मार्गों पर रहा जाम, लोग परेशान

लखनऊ। कांग्रेसियों के प्रदर्शन का खामियाजा आम जनता को जाम के रूप में उठाना पड़ा। प्रदर्शन की जानकारी के बावजूद लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। जिम्मेदारों के नदारद रहने से लालबत्ती, गोल्फ कोर्स चौराहा, सिविल अस्पताल और हजरतगंज के आसपास के मार्गों पर जाम में वाहन फंसे रहे। सिविल अस्पताल रोड पर एक एंबुलेंस भी फंसी रही। कांग्रेसियों के प्रदर्शन के कारण लालबत्ती चौराहा, गोल्फ कोर्स चौराहा, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय मार्गों का ट्रैफिक रोक-रोक कर निकाला गया। व्यस्त घंटों में किए गए बदलाव की वजह से ट्रैफिक लोड बढ़ गया। प्रदर्शन के बाद जब मार्ग खुला तो वाहन चालक जल्दबाजी में गुजरने लगे, जिससे जाम की स्थिति बनने लगी।

अयोध्या की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल



दिव्यधाम में राम

आईआईएम लखनऊ ने किया अध्ययन

1. पहले सालाना 1.7 लाख श्रद्धालु, अब पांच से छह करोड़ का अनुमान
2. पहले छह माह में 11 करोड़ आगंतुक अयोध्या आए
3. पर्यटन कर राजस्व 20,000-25,000 करोड़ रुपये अनुमानित
4. 150 से अधिक नए होटल और होमस्टे शहर में बने
5. 6,000 नए एमएसएमई
7. 1.2 लाख रोजगार सृजन की संभावना बनी
8. दुकानदारों की दैनिक आय 2,500 रुपये तक
9. संपति की कीमतों में10 गुना वृद्धि

लखनऊ, संवाददाता। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ की रिपोर्ट 'इकॉनमिक रेनेसांस ऑफ अयोध्या' में बताया गया है कि मंदिर उद्घाटन के बाद शहर में पर्यटन, निवेश, कारोबार और रोजगार के अवसरों में व्यापक वृद्धि हुई है। अध्ययन के अनुसार, मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या में सालाना करीब 1.7 लाख श्रद्धालु आते थे।

स्थानीय दुकानदारों की औसत कमाई 400 से 500 रुपये प्रतिदिन थी। सीमित होटल, कमजोर कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण आर्थिक गतिविधियां सीमित दायरे में थीं। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद तस्वीर तेजी से बदली। पहले छह महीनों में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। अब हर साल पांच से छह करोड़ आगंतुकों के आने का अनुमान है। पर्यटन से कर राजस्व 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिदिन दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन से आतिथ्य और सेवा क्षेत्र को नई गति मिली है। 150 से अधिक नए होटल और होमस्टे शुरू हुए हैं। ताज, मैरियट और अन्य होटल समूहों ने विस्तार योजनाएं घोषित की हैं। ऑनलाइन बुकिंग में चार गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है। करीब 6,000 एमएसएमई स्थापित हुए हैं। अगले चार-पांच वर्षों में 1.2 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

इसके अलावा छोटे दुकानदारों की आय बढ़कर 2,500 रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गई है। मंदिर क्षेत्र के आसपास संपत्ति की कीमतों में पांच से दस गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुविचारित नीति और निवेश के साथ धार्मिक पर्यटन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। अयोध्या इसका ताजा उदाहरण बनकर उभरा है।

राजेश्वर के साथ रोड शो करेंगे संजय दत्त

लखनऊ। पर्यावरण संरक्षण व नागरिक उत्तरदायित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से 22 फरवरी को सरोजनीनगर विधायक डॉ राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में बंगला बाजार में एक खास कार्यक्रम का योजन किया जाएगा। इसमें मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान संजय दत्त एक रोड शो करने के साथ 'नेट जीरो सरोजनीनगर' अभियान का शुभारंभ करेंगे।



डॉ राजेश्वर सिंह

विधायक डॉ राजेश्वर सिंह ने बताया संजय दत्त सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य रोड शो से युवाओं से संवाद करेंगे व 'पर्यावरण वीरों' को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं व नव मतदाताओं को जोड़ना भी है। दत्त युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की अपील भी करेंगे।

पॉलीटेक्निक से वेव तक अंडरपास बनाने की मांग

निराकरण

लखनऊ, प्रसं। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक ओपी श्रीवास्तव ने सदन में अपने संबोधन में लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की बड़ी समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि लखनऊ-अयोध्या मार्ग से पॉलीटेक्निक चौराहे होते हुए 1090 चौराहा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, लोहिया अस्पताल एवं विधानसभा मार्ग तक पहुंचने में आम नागरिकों, स्कूल बसों, नौकरीपेशा लोगों तथा एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को प्रतिदिन भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है।

विधायक ने मांग की कि पॉलिटेक्निक चौराहे से वेव सिनेमा मार्ग पर एक सुव्यवस्थित अंडरपास का शीघ्र निर्माण कराया जाए, जिससे गोमती नगर रेलवे स्टेशन, लोहिया अस्पताल, मिठाई वाला चौराहा, 1090 चौराहा, विधानसभा मार्ग एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों तक निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके।

शहर 30s

कोटेदारों का धरना-प्रदर्शन 11 मार्च को

लखनऊ। लाभांश बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के कोटेदारों ने आंदोलन के दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत होली के बाद 11 मार्च को जिला मुख्यालयों पर कोटेदार धरना-प्रदर्शन करेंगे। छह अप्रैल को विधानसभा तक मार्च निकालेंगे। दो माह में सरकार ने लाभांश बढ़ाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया तो एक मई से कोटेदार राशन की उठान और वितरण ठप कर देंगे।

कूड़े को हरियाली में बदलने पर मिला सम्मान

लखनऊ। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव को नागरिक संगठन ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने सम्मानित किया। लाखों मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण कर वर्षों पुरानी समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया गया। शहर की हरियाली बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय पहल हुई।

मंदिर चलो अभियान के तहत हनुमान चालीसा का पाठ

लखनऊ। मंदिर चलो अभियान के तहत मंगलवार को चिनहट रामलीला मैदान के राम चबूतरे पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ किया गया। चिनहट वार्ड के पार्षद अरुण कुमार राय के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने ढोलक-मंजिरे के साथ श्रद्धाभाव से श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया। भव्य आरती उतारी गई। इस अवसर पर पार्षद ने ऊर्जा के लिए मंदिर जाने की अपील की।

गिलास में बची वाइन खोलेगी भविष्य के राज

लखनऊ। फिक्की फ्लो लखनऊ चैप्टर ने मंगलवार को निजी होटल में एक अनूठा और बौद्धिक सत्र 'वाइन, साइंस एंड डिवाइन' आयोजित किया। इस दौरान डॉ. शीतल शपारिया ने भविष्य बताने की प्राचीन और रहस्यमयी कला 'वाइन रीडिंग' से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि वाइन रीडिंग में वाइन पीने के बाद गिलास के तल में बचे लाल वाइन के अवशेषों और पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है। उन्होंने समझाया कि यह कला प्राचीन ग्रीक और रोमन परंपराओं से जुड़ी है।

दुबग्गा में बिजली के तीन खंभे क्षतिग्रस्त, केस

काकोरी। दुबग्गा उपकेंद्र के अंतर्गत कुशमौरा हलवापुर गांव में शरारती तत्वों ने रविवार रात हाईटेंशन लाइन के तीन पोल क्षतिग्रस्त कर दिए। इससे क्षेत्र के चार निजी नलकूपों की बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई, जिससे किसानों को सिंचाई में समस्या आ रही है। जूनियर इंजीनियर ऋषि गोस्वामी की तहरीर पर काकोरी पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

समाज का निर्माण करने वाली भारत की माताएं हैं

लखनऊ। विद्याभारती अवध प्रांत की ओर से सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर क्यू अलीगंज में किया गया। जिसमें नारी सशक्तीकरण केन्द्र में रहा। मुख्य अतिथि महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य अंजू प्रजापति ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बालक को प्रकृति का परिचय कराने वाली मां ही है। समाज का निर्माण करने वाली भारत की माताएं ही हैं।

गैरहाजिर कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश

सख्ती

लखनऊ, प्रसं। यूपी के सरकारी दफ्तरों, तहसीलों और कलेक्ट्रेटों में अब काम टालने वाली सुस्ती भारी पड़ने वाली है। मंगलवार को मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत ने खंड विकास कार्यालय (बीडीओ) काकोरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली भारी लापरवाही पर कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया।

मंडलायुक्त सुबह 10:45 बजे काकोरी ब्लॉक पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। सबसे पहले उपस्थिति रजिस्टर चेक किया गया, जिसमें डेढ़ दर्जन स्टाफ सदस्य बिना किसी सूचना के गायब मिले। कमिश्नर ने तत्काल इनके एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए। कमिश्नर को निरीक्षण के दौरान बीडीओ स्तर पर भी लापरवाहियां मिली हैं। अब इस निरीक्षण के क्रम में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई ईडब्ल्यूएस पर नौकरी पाई

लखनऊ, संवाददाता। सीएमओ के अधीन खुले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर संविदा एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती के लिए साक्षात्कार हुआ। इन डॉक्टरों में से कई युवाओं ने विदेश और भारत के निजी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है।

विदेश और निजी मेडिकल कॉलेज में महंगी पढ़ाई कर एमबीबीएस करने वाले इन डॉक्टरों ने ईडब्ल्यूएस कोटे का सर्टिफिकेट लगाकर सेंटरों पर नियुक्ति पा ली है। इस मामले की शिकायत सूरज कश्यप ने शासन, प्रशासन से की है। आरोप लगाया है कि इन अभ्यर्थियों ने फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है। सीएमओ की ओर से जारी विज्ञापन में 400 एमबीबीएस डॉक्टर साक्षात्कार में शामिल हुए। साक्षात्कार में शामिल हुए कुछ युवाओं ने भारत और विदेशों के निजी मेडिकल कॉलेजों से 50 लाख से एक-डेढ़ करोड़ रुपए खर्च कर डिग्री हासिल की।

> निजी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने आए युवाओं ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाया है। शिकायत मिली तो जांच करवाएंगे। **डॉ. एनबी सिंह,** सीएमओ

तहसील-कलेक्ट्रेट में लंबित मुकदमों की अब होगी जांच

लखनऊ, प्रसं। शासन ने प्रदेश की सभी तहसीलों और कलेक्ट्रेट में इस माह विशेष निरीक्षण अभियान चलाने का फैसला किया है। इसी क्रम में माह के अंत में कमिश्नर विजय विश्वास पंत कलेक्ट्रेट की जांच करेंगे। दरअसल, मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने आदेश दिया है कि मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी दफ्तरों में बैठकर फाइलों और व्यवस्थाओं को खंगालेंगे। इसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी।

इस अभियान में उन तीन प्रमुख बिंदुओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, जिससे आम आदमी का सीधा वास्ता पड़ता है।

राजस्व अदालतों में तारीखों के जाल में फंसे फरियादियों के लिए शासन ने विशेष निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारी देखेंगे कि 5 साल से अधिक पुराने मुकदमे क्यों लंबित हैं, सबसे पुराने 3 मुकदमों की पत्रावली की वर्तमान स्थिति क्या है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

अंचल कार्यालय–एलडीए ऑफिस के सामने, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

शुद्धि पत्र

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लखनऊ अंचल द्वारा अनर्जक खातों की ई–नीलामी सूचना दिनांक **15 फरवरी 2026** को **हिन्दुस्तान समाचार** पत्र में प्रकाशित की गई थी। उक्त ई–नीलामी सूचना में प्रकाशित सभी सम्पत्तियों लॉट सं. 1 से 19 तक की ई–नीलामी सूचना तथा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 17.03.2026 की जगह **19.03.2026** पढ़ा जाय। अतः सभी सम्पत्तियों की ई–नीलामी **19.03.2026** को जायेगी।

अन्य सभी विवरण पूर्ववत रहेगी।

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लखनऊ अंचल

updesco

Uttar Pradesh Development Systems Corporation Ltd.
(A U.P. Government Undertaking)
2nd Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow

e-Tender Notice

Online e-bids are invited from reputed Companies for System Integrator for Supply, Installation with Client Application and Maintenance of Electronic Point of Purchase (ePoP) Devices at Purchase Centres for Food & Civil Supplies Department, Uttar Pradesh. The complete details are available in RFP document, which has been published on 13.02.2026 on e-procurement Portal https://etender.up.nic.in. Any corrigendum / amendments to the RFP document shall be uploaded on e-procurement Portal only. UPDESCO reserves the right to cancel any or all the e-bids/annul the e-bidding process without assigning any reason and decision of Corporation will be final and binding in this regard.

UPDESCO/2026/ePoP/1 — Managing Director

लखनऊ विकास प्राधिकरण
(ISO 14001 : 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ०प्र०)। टोल-फ्री: 1800 1800 5000, फोन नं० : 0522-2302586, वेबसाइट : www.ldaonline.co.in

सार्वजनिक सूचना

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत को मूल किरायेदारों/उनके वारिसानों के उपलब्ध न होने की दशा में सम्पत्ति पर काबिज व्यक्तिओं के पक्ष में किरायेदारी रेगुलराईज्ड किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक-27.03.2025 में लिए गये निर्णय के अनुसार किराये की सम्पत्तियों पर काबिज व्यक्तिओं के पक्ष में किरायेदारी रेगुलराईज्ड की जानी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के अनुसार विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति संख्या	मूल किरायेदार	काबिज व्यक्ति का नाम
1.	कपूरथला शॉपिंग काम्प्लेक्स अलीगंज लखनऊ	दुकान संख्या-4	श्री आर०बी० लाल	श्रीमती वन्दना मिश्रा

उक्त सम्पत्ति के मूल किरायेदार अथवा इनके उत्तराधिकारी 30 दिवस में अपनी आपत्ति रेण्ट विभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा की दशा में सम्पत्ति के मूल किरायेदार के पक्ष से किरायेदारी निरस्त करते हुए, सम्पत्ति पर काबिज व्यक्ति के पक्ष में किरायेदारी रेगुलरराज्ड करते हुए, निबन्धन आदि की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। यह सूचना व्यक्तिगत रूप से तामील मानी जाएगी।

राजीव कुमार, विशेष कार्याधिकारी — ज्ञानेन्द्र वर्मा, अपर सचिव

IS 15700:2018

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website:http://www.upavp.in E-mail: info@upavp.com

आवश्यक सूचना

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा पहले आओ पहले पाओ योजना के अन्तर्गत रिक्त रेडी टू मूव इन फ्लैट्स के निस्तारण में सहयोग हेतु रेरा तथा विकास प्राधिकरणों में पंजीकृत एजेंटो को सूचीबद्ध किये जाने हेतु दिनांक-18.02.2026 से 28.02.2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित किये जाते है।

विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर लॉगिन करें।

आवास आयुक्त

अधिक जानकारी के लिए : https://upavp.in 1800 180 5333 | 0522 2236803

आपके निकटतम आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध
वैदान्तक वटी®
दर्द का अन्त, तुरन्त
सभी प्रकार के नसों की कमजोरी के लिए



वेदान्तक वटी से होने वाले लाभ को साक्षा करें और पाएं निःशुल्क वेदान्तक वटी
(*निःशुल्क 10 दिन की खुराक)
सम्पर्क करें: 8865001008
*T&C apply

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

मण्डल सैम (वसूली), मण्डल कार्यालय, रीडगंज, देवकली रोड, अयोध्या (फैजाबाद) फो. 8240638813 ई-मेल : cs8189@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई–नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई–नीलामी "जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो" के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है। **सेक्शन 13 के सब सेक्शन (8) के प्राविधानों के अन्तर्गत सुरक्षित सम्पत्ति को छुडाने हेतु दिये गये समय पर ऋणियों/ जमानतकर्ताओं /बंधककर्ताओं का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।**

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र सं	शाखा का नाम / खाते का विवरण / उधारकर्ता/ जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति/यां (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 ब) बकाया राशि स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 द)कब्जा का प्रकार–रचनात्मक/सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य ब)धरोहर धनराशि (धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि) स) वृद्धिशील बिड धनराशि
	मण्डल सैम (वसूली), मण्डल कार्यालय अयोध्या (फैजाबाद), प्राधिकृत अधिकारी श्री अनूप कुमार टंडन (मुख्य प्रबन्धक), मो-8240638813 नीलामी राशि जमा करने हेतु खाता नं. 818900317118A आईएफएससी कोड (IFSC -PUNB0818900) शाखा मण्डल सस्त्रा केन्द्र अयोध्या			
	ई–नीलामी की तिथि व समय 06.03.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 05.03.2026			
1	शाखाः तुरकौली, गोंडा खाताः मेसर्स जगत जननी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उधारकर्ताः मेसर्स जगत जननी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (प्रोप. श्रीमती गरिमा सिंह) पता–46, कनकपुर, पोस्ट पुरे शिवदयाल गंज, जिला–गोंडा, उत्तर प्रदेश 271319। जमानतकर्ता एवं बंधककर्ता– (1) श्री उदय भान सिंह पुत्र जगदीश सिंह (2) श्रीमती प्रभावती (अब मृतक) मृत्यु पश्चात उनके कानूनी उत्तराधिकारियों –(1) श्री सूर्य भान सिंह (पुत्र) (2) श्री उदय भान सिंह (पुत्र) (3) श्री राम पुकार सिंह (पुत्र)। सभी (1 से 3) निवासी ग्राम कनकपुर, पोस्ट पुरे शिवदयाल गंज, जिला गोंडा–271319	सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि एवं भवन कवर्ड खाता संख्या 414, गाटा संख्या 487 ख के अंतर्गत, क्षेत्रफल–0.1070 हेक्टेयर का 1/6 भाग अर्थात् 0.0178 या 178 वर्ग मीटर) स्थित ग्राम कनकपुर मुस्तहकम, परगना नवाबगंज, तह. तरबगंज, जिला–गोंडा जोकि पंजीकृत बंधक विलेख संख्या 5190 दिनांक 04.09.2017 के अनुसार श्री उदय भान सिंह और प्रभावती (अब मृतक) मृत्यु पश्चात कानूनी उत्तराधिकारियों श्री सूर्य भान सिंह (पुत्र) (2) श्री उदय भान सिंह (पुत्र) (3) श्री राम पुकार सिंह (पुत्र) द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है) के संयुक्त स्वामित्व में है। चौहद्दी– पूर्व– प्लॉट संख्या 487मिन का शेष भाग, पश्चिम– रामपाल, उत्तर– फैजाबाद से गोंडा रोड, दक्षिण– बाग राम बहोर।	(अ) 06.12.2022 (ब)रू. 14,26,775.56 +ब्याज एवं अन्य खर्चे, (स) 28.02.2023 (द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 31.00 लाख ब)रू. 3.10 लाख 05.03.2026 स)रू. 0.10 लाख
2	शाखाःकेएनआईटी, सुल्तानपुर(391400) खाताः श्री संजीव कुमार तिवारी उधारकर्ताः श्री संजीव कुमार तिवारी पुत्र श्री बच्चई तिवारी, 2555/ए, शंकरपुर, (करौंदिया) परगना– मीरनपुर, तहसील और जिला– सुल्तानपुर। जमानतकर्ता और बंधककर्ता– (1) श्रीमती मुन्नी तिवारी पत्नी श्री बच्चई तिवारी निवासी 2555/ए, शंकरपुर, (करौंदिया) परगना –मीरानपुर, तहसील और जिला सुल्तानपुर। (2) श्री त्रिवेणी दत्त पांडे पुत्र चंद्रधर पांडे निवासी 2553/3, निराला नगर, करौंदिया, परगना– मीरनपुर, तहसील और जिला सुल्तानपुर –228001	सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि एवं दोमंजिला भवन –खसरा/प्लॉट नंबर 545मिन पर निर्मित मकान नं. 2555/ए, क्षेत्रफल 1361 वर्ग फुट स्थित ग्राम/मोहल्ला–शंकरपुर, करौंदिया टैक्सी स्टैंड के पास, परगना– मीरनपुर, तहसील और जिला सुल्तानपुर जोकि पंजीकृत वसीयत विलेख संख्या 322/2007 दिनांक 16.10.2007 के अनुसार श्रीमती मुन्नी तिवारी के नाम है। चौहद्दी विलेख के अनुसार: पूर्व– खड़ंजा रोड, पश्चिम– अन्नालता व अन्य, उत्तर– मकान संख्या 2443 निर्मला देवी, दक्षिण– सड़क, मकान बब्बू श्रीवास्तव के बाद। साइट के अनुसार चौहद्दी– पूर्व– श्री पाल व अन्य की भूमि, पश्चिम– श्री छोटे लाल व अन्य की भूमि, उत्तर– श्री पाल व अन्य की भूमि, दक्षिण– पब्लिक रोड।	(अ)5.07.2022 समाचार पत्र में प्रकाशित दिनांक 27.08.2022 (ब)रू. 9,86,421.91/- +ब्याज एवं अन्य खर्चे, (स) 02.11.2022 (द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 20,30,400/- ब)रू. 2,03,040/- 05.03.2026 स)रू. 0.10 लाख
3	शाखाःकेएनआईटी, सुल्तानपुर(391400) खाताः श्रीमती मंजू सिंह उधारकर्ताः श्रीमती मंजू सिंह पत्नी श्री राजेश कुमार सिंह, निवासी –ग्राम व पोस्ट–हमजाबाद, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर – 228132 जमानतकर्ता– श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री अवधेश सिंह (अब मृतक) मृत्यु पश्चात उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (1) श्रीमती मंजू सिंह (पत्नी) (2) श्री अंशुमान सिंह (पुत्र) (3) श्री राम सिंह (पुत्र) सभी निवासी ग्राम व पोस्ट–हमजाबाद जयसिंहपुर, सुल्तानपुर–228132	सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि एवं भवन –मकान संख्या 46ए (पुराना) 1148 (नया) के अंतर्गत, क्षेत्रफल–1404 वर्ग फुट (65X21.6) बंधक क्षेत्र (1404 वर्ग फुट का 1/2 भाग), स्थित ग्राम कस्बा, सुल्तानपुर, परगना–मीरानपुर, तहसील और जिला सुल्तानपुर जोकि पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 3827 दिनांक 05.08.2006 सहपठित हस्तांतरित बंटवारा दस्तावेज दिनांक 07.01.2018 के अनुसार श्रीमती मंजू सिंह पत्नी राजेश कुमार सिंह के नाम है। चौहद्दी– विलेख के अनुसार– पूर्व–6 फुट चौड़ी गली, फिर कुंवर सिंह का मकान, पश्चिम–राम आधार का मकान, उत्तर–हर प्रसाद का मकान, दक्षिण–10 फुट रास्ता, फिर शिव दयाल का मकान।	(अ)01.07.2023 (ब)रू. 12,59,723.00 +ब्याज एवं अन्य खर्चे, (स)26/09/2023 (द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 18.80 लाख ब)रू. 1.88 लाख 05.03.2026 स)रू. 0.10 लाख
4	शाखा–सुरहुरपुर, जिला–अम्बेडकरनगर (3146) खाता–मैसर्स उत्कर्ष ट्रेडर्स, खाता नं. 3146008700001349 & 3146001B00000955) उधारकर्ता–मैसर्स उत्कर्ष ट्रेडर्स, प्रोपराइटर श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र स्व0 राम चन्द शर्मा दोनों का पता ग्राम कुलहिया पट्टी, पोस्ट– करमिसिपुर परगना सुरहुरपुर, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर 224149 जमानतकर्ता–1. श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री अरविन्द कुमार शर्मा, 2. श्री दया शंकर शर्मा पुत्र स्व0 राम चन्द शर्मा, 3. श्री संजय शर्मा पुत्र स्व0 राम चन्द शर्मा, सभी ग्राम कुलहिया पट्टी, पोस्ट– करमिसिपुर परगना सुरहुरपुर, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर 224149	1. आबादी प्लाट नं. 538 ब, पूरब एवं पश्चिम दिशा जो 48.5फीट, उत्तर एवं दक्षिण दिशा जो 30फीट बराबर 1455 वर्गफीट जोकि 135.03 वर्गमी के बराबर है स्थित ग्राम कुलहिया पट्टी, परगना सुरहुरपुर तहसील जलालपुर, जिला अम्बेडकरनगर (उ.प्र.)। जोकि पंजीकृत विक्रय अभिलेख सं. 3017 दि. 20.11.2007 को श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री अरविन्द कुमार शर्मा के नाम है। चौहद्दी(विक्रय अभिलेख के अनुसार)–पूरब–आबादी राजकरन, पश्चिम– खुशियाल का मकान, उत्तर–केंद्रा की आबादी, दक्षिण– केंद्रा की आबादी। 2. प्लाट नं. 539 एवं 540, कुल क्षे. 0.007 हेक्टेयर जोकि 70 वर्गमी के बराबर है स्थित ग्राम कुलहिया पट्टी, परगना सुरहुरपुर, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेडकरनगर (उ.प्र.)। जोकि पंजीकृत विक्रय अभिलेख सं. 3018 दिनांक 20.11.2017 के अनुसार श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री अरविन्द कुमार शर्मा के नाम है। चौहद्दी(विक्रय अभिलेख के अनुसार)–पूरब– आबादी श्री अरविन्द शर्मा, पश्चिम–श्रीमती द्रौपदी देवी की भूमि, उत्तर– श्री अरविन्द कुमार का मकान, दक्षिण– लिंक रोड कुलहिया पट्टी से मदोई। 3. प्लाट नं. 539 एवं 540, कुल क्षे. 0.026 हेक्टेयर का 1/4 भाग बराबर 0.0065 हैक्टेयर जोकि 65 वर्गमी के बराबर है स्थित ग्राम कुलहिया पट्टी, परगना सुरहुरपुर, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर (उ.प्र.) जोकि पंजीकृत विक्रय अभिलेख सं. 345 दिनांक13.02.2007 के द्वारा (1) श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र स्व0 राम चन्द शर्मा, (2) श्री दया शंकर शर्मा पुत्र स्व0 राम चन्द शर्मा, (3) श्री संजय शर्मा पुत्र स्व0 राम चन्द शर्मा के नाम है। चौहद्दी (विक्रय अभिलेख के अनुसार)–पूरब– नवीन पटरी, पश्चिम– चक रोड फिर कृषि भूमि श्री राजकरन, उत्तर–आबादी श्री राजकरन, दक्षिण– चक रोड फिर कृषि भूमि श्री राम आसरे।	(अ)25.09.2018 (ब)रू. 20,57,355.85 +ब्याज एवं अन्य खर्चे दि. 01.05.2018 से प्रभावी (स)20.12.2018 (द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 18,10,800/- ब)रू. 1,81,080/- 05.03.2026 स)रू. 0.10 लाख
5	शाखा सुरहुरपुर, अम्बेडकरनगर(3146) खाता–मैसर्स सचिन ब्रिक फील्ड उधारकर्ता–मैसर्स सचिन ब्रिक फील्ड पता– ग्राम– मंसूरपुर, पोस्ट–मालीपुर, जिला–अम्बेडकर नगर–224159 प्रोप. अरविंद कुमार यादव पुत्र संत राम निवासी ग्राम व पोस्ट– खंडौरा, तहसील– फूलपुर, जिला–आजमगढ़। जमानतकर्ताः– श्री अरविंद कुमार यादव पुत्र संत राम यादव (अब मृतक) मृत्यु पश्चात उनके कानूनी उत्तराधिकारियों –(1) श्री राजा राम (पुत्र) (2) श्री सीता राम (पुत्र) (3) श्री संत राम (पुत्र) सभी (1 से 3) निवासी ग्राम व पोस्ट– खंडौरा, तहसील– फूलपुर, जिला–आजमगढ़।	सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि एवं आबादी गाटा संख्या 729, क्षेत्रफल 0.036 हेक्टेयर (जिस पर निर्मित मकान संख्या 65) ग्राम और पोस्ट– खंडौरा, परगना– माहुल, तहसील– फूलपुर, जिला– आजमगढ़ जोकि पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 3635 दिनांक 16.12.2011 के अनुसार श्री राम प्रसाद के स्वामित्व में है। विलेख के अनुसार चौहद्दी–पूर्व– राम प्रसाद, दक्षिण राम और श्री राम का मकान (प्लॉट संख्या 780), पश्चिम सीता राम और अन्य की भूमि एवं बंजार भूमि (प्लॉट नंबर 728), उत्तर श्रीमती चंद्रावती, सीताराम और दूध नाथ का मकान (प्लॉट नंबर 730) दक्षिण सूर्य लाल, बाबू लाल और लालसा का मकान (आबादी कैटीगरी (6)2) प्लॉट नंबर 795। साइट के अनुसार चौहद्दी– पूर्व राम प्रसाद, दक्षिण राम और श्री राम का मकान(प्लॉट नंबर 780), पश्चिमः सीता राम और अन्य की भूमि एवं बंजर भूमि (प्लॉट नंबर 728), उत्तरः चंद्रा प्रसाद और अन्य (प्लॉट नंबर 730), श्रीमती चंद्रावती, सीताराम और दूध नाथ का मकान, दक्षिणः सूर्य लाल, बाबू लाल और लालसा का मकान (आबादी कैटेगरी (6)2 प्लॉट नंबर 795)	(अ) 14.03.2024 (ब)रू. 10,07,900.99 +ब्याज एवं अन्य खर्चे, दि 01.03.2024 से प्रभावी (स)07.06.2024 (द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 33,71,000.00 ब)रू. 3,37,100.00 05.03.2026 स)रू. 0.10 लाख

प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण : कोई अधिभार ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्ते– 1. बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी। 2. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसा है", "जहाँ है जो है" और "जो भी है" के आधार पर की जायेगी। ... https://baanknet.com पर की जायेगी। ... https://baanknet.com एवं www.pnbindia.in में दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक 18.02.2026 अयोध्या — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।